भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 675

23 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

बुंदेलखंड क्षेत्र में खाद्य असुरक्षा

675. श्री नारायणदास अहिरवारः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र में खाद्य असुरक्षा की स्थिति से अवगत है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्र के जिलों में खाद्यान्न वितरण योजनाओं अर्थात् दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत क्या विशेष उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का उक्त क्षेत्र के लिए कोई विशेष "खाद्य सुरक्षा पैकेज" या पोषण अभियान "आहार अभियान" शुरू करने का विचार है ताकि वहाँ के गरीब परिवारों को समय पर और पर्याप्त पौष्टिक भोजन देना सुनिश्चित किया जा सके?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) बुंदेलखंड क्षेत्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य 75% तक ग्रामीण और 50% तक शहरी आबादी की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जिनकी संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 81.35 करोड़ है। पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाले परिवार, जो सबसे अधिक गरीब हैं, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न पाने के पात्र हैं, जबकि प्राथमिकता प्राप्त परिवारों (पीएचएच) को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलता है।

...2/-

केंद्र सरकार ने गरीब लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ हटाने और गरीबों की सहायता के लिए कार्यक्रम में देशव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु, पीएमजीकेएवाई के तहत दिनांक 01 जनवरी, 2023 से लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। दिनांक 01 जनवरी, 2024 से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि को अगले पाँच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

पीएमजीकेएवाई के तहत लाभार्थियों का कवरेज काफी अधिक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिले।

केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत, लाभार्थियों की पहचान और उनके राशन कार्ड जारी करने की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएफएसए के अंतर्गत शामिल करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी पात्र और ग़रीब व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करने हेतु परामर्शिका जारी करती है। राज्य अपने लाभार्थी डाटाबेस को अद्यतन कर रहे हैं ताकि अपात्र राशन कार्ड हटाए जा सकें और सही लाभार्थियों को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सके।

(ग): वर्तमान में, उक्त क्षेत्र के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पास विशेष खाद्य पैकेज का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****